नामांकन और मतदान करने के लिए तैयार हो जाएँ

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI

मतदान करने के लिए नामांकन क्यों करवाएँ?

अगर आप मतदान करने के लिए नामांकित होते हैं, तो आम चुनावों, स्थानीय चुनावों और जनमत-संग्रह में आप अपनी बात रख पाते हैं। चुनाव ऐसे अवसर होते हैं जिनमें आप अपने लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका प्रतिनिधित्व करने वाली बात रख पाते हैं।

मतदान करने के लिए नामांकन करवाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए।

मतदान करने के लिए कौन नामांकन करवा सकता है?

आप तभी नामांकन करा सकते हैं, *अगर:*

- **आपकी आयु 18 साल या उससे अधिक है, और**
- **आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक या न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासी हैं, और**
- **आप न्यूज़ीलैंड में अपने जीवन में कभी भी लगातार एक साल से अधिक समय तक रहे हैं।**

अगर आप ऑस्ट्रेलियाई, कुक आइलैंड्स मओरी, न्यूइयन या टोकेलाउआन हैं, तो लगातार 12 महीनों तक न्यूज़ीलैंड में निवास करने के बाद ही आप नामांकन करवा सकते हैं।

अगर आप विदेश रहते हैं, तो आप निम्न परिस्थितियों में मतदान करने के लिए नामांकन करवा सकते हैं:

- **आप न्यूज़ीलैंड के ऐसे नागरिक हैं, जो न्यूज़ीलैंड में पिछले तीन सालों से रह रहा है,या**
- **आप न्यूज़ीलैंड के एक ऐसे स्थायी निवासी हैं, जो पिछले बारह महीनों से न्यूज़ीलैंड में रह रहा है।**

आप 17 साल का होने पर नामांकन करवा सकते हैं। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, तो आपका नामांकन स्वतः हो जाएगा और आप मतदान करने के लिए तैयार हो जाएँगे।

मैं अपना नाम कैसे दर्ज कर सकता हूं?

नामांकन करवाना या अपना विवरण अपडेट करना आसान है। आप:

- **vote.nz** पर जाएं और ऑनलाइन नामांकन करवाने के लिए अपने New Zealand ड्राइवर लाइसेंस, New Zealand पासपोर्ट या RealMe सत्यापित पहचान का इस्तेमाल करें
- **0800 36 76 56** पर निःशुल्क कॉल करें और स्वयं को फ़ॉर्म भेजने के लिए करें

नामांकन के बाद, आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। मतदान करने के लिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए।

जब-जब आप अपना निवास बदलते हैं, तब-तब आपको अपना विवरण अपडेट करने की आवश्यकता होती है।

अगर आप माओरी हैं, तो मतदान करने के लिए नामांकन करवाना

अगर आप माओरी वंश के हैं और पहली बार नामांकन करवा रहे हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण विकल्प का चयन करना होता है। आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस मतदाता सूची में शामिल रहना चाहते हैं: आम चुनाव या माओरी सूची।

आपका चुनाव उस निर्वाचन समूह पर प्रभाव डालता है जिसे आप आम चुनाव में मतदान करते हैं।

अगर आप आम सूची का चुनाव करते हैं, तो आप आम चुनाव के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। अगर आप माओरी सूची चुनते हैं, तो आप माओरी चुनाव के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। आपका नाम जिस सूची में हो, आप राजनीतिक दलों की उसी सूची के लिए मतदान कर सकते हैं।

आप जिस मतदाता सूची को चुनेंगे, उससे स्थानीय चुनावों में मतदान करने का आपका तरीका प्रभावित हो सकता है। अगर आप माओरी मतदाता सूची में हैं और आपके स्थानीय प्राधिकरण के अधीन एक माओरी वार्ड है या निर्वाचन-क्षेत्र है, तो आप माओरी वार्ड के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे।

अगर किसी एक सूची (माओरी या आम) का चुनाव करने के बाद आप उसमें बदलाव करने का मन बनाते हैं, तो आप माओरी चुनाव-क्षेत्र विकल्प बदल सकते हैं, जो लगभग हर 5 साल में होता है।

क्या नामांकन करवाने में सहायता की ज़रूरत है?

आप अपना नामांकन फ़ॉर्म भरने में आपकी सहायता करने के लिए या आपके लिए आपका फ़ॉर्म भरने के लिए अपने किसी परिचित जैसे कोई मित्र या परिवार के सदस्य से कह सकते हैं या निर्वाचकों के स्थानीय रजिस्ट्रार से कह सकते हैं।

आपको फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण न तो अपना नामांकन फ़ॉर्म भर सकता है और न ही उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो हो सकता है कि आप मदद कर पाएं।

मतदान करने के लिए नामांकन करवाने में किसी की मदद के संबंध में अधिक जानकारी के लिए **vote.nz** पर जाएं।

क्या अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं?

अगर आपको अपनी निजी सुरक्षा या अपने परिवार की चिंता है, तो आप गोपनीय अप्रकाशित सूची पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम आपका नामांकन विवरण सुरक्षित रखेंगे और उसे किसी को भी नहीं देंगे।

निर्वाचकों के स्थानीय रजिस्ट्रार से बात करें, अधिक जानकारी और आवेदन फ़ॉर्म के लिए, **vote.nz** पर जाएँ या **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

अधिक जानकारी चाहिए?

नामांकन और मतदान करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

- **vote.nz** पर जाएं
- **facebook.com/VoteNZ** पर जाएं

नामांकन और मतदान करने के बारे में जानकारी **vote.nz** पर 27 भाषाओं में उपलब्ध है।

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI